न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 79 / 2022

डॉ0 रामकिशन जाटव पुत्र श्री घीसाराम पूर्व वरिष्ठ शोध अधिकारी, नि0 152 दीनदयाल नगर, आर.बी.एम. अस्पताल के पीछे भरतपुर 321001

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर(शहर)प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर

.............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 21.10.2022

अपीलाथी डॉ0 रामकिशन जाटव पुत्र श्री घीसाराम पूर्व वरिष्ठ शोध अधिकारी, नि0 152 दीनदयाल नगर, आर.बी.एम. अस्पताल के पीछे भरतपुर 321001 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपबास के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 19.7.2022 से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर(शहर)प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/751 दिनांक 27.9.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से जबाब पत्र क्रमांक/ सामान्य / अपील / 2022/9775 दिनांक 11.10.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में सूचना के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुये अंकित किया है कि "....सूचना से इस कार्यालय के पत्रांक सामान्य/आरआई(155)/2022/7573 दिनांक 25.8.2022 से प्रार्थी को सूचित किया गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.8.2022 से

...........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

दिनांक 2.8.2022 को प्रस्तुत आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमाने हेतु अनुरोध किया है...।" लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से जाहिर है कि अपीलार्थी को सूचना के सम्बन्ध में उसे अवगत करा दिया गया है। जबाब से यह भी जाहिर है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित उत्तर से सन्तुष्ट है। अस्तु अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी,सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय प्रति लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर